फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
प्रकाशचन्द		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–121/2021
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.10.2021	प्रार्थी प्रकाशचन्द पुत्र चौथुराम जाति मेहतर निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प हरियाढाणा** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खोजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2293/2 रकबा 1.6180 हैक्टेयर खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि को राज्य सरकार द्वारा वादी को आवंटन की गयी वक्त आवंटन के समय वादी का नाम प्रकाशचन्द के बजाय पारस लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रकाशचन्द है तथा सरकारी दस्तावेज भी प्रकाशचन्द पुत्र चौथूराम के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में पारस पुत्र चौथाराम के स्थान पर प्रकाशचन्द पुत्र चौथूराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी प्रकाशचन्द ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी प्रकाशचन्द का आधारकार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड, बैंक डायरी, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 आदि को पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 28.07.2021 को पेश किया है। तथा प्रतिवादी सम्पत पुत्र चौथाराम के बयान कलमबद्ध कराये गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में पारस गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। एवं मै कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि [illegible] पारस दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का [illegible] किये जाने योग्य है अतः ग्राम खोजानगर तहसील बिलाड़ा [illegible] खसरा नम्बर 2293/2 रकबा 1.6180 हैक्टेयर की खातेदारी [illegible] पुत्र चौथाराम के स्थान पर प्रकाशचन्द पुत्र चौथूराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व [illegible] में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम हरियाढाणा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:10 IST
Reason: SelfAttested

	में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

प्रकाशचन्द पुत्र चौथूराम
जाति मेहतर निवासी हरियाढाणा
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 121/2021

निर्णय **दिनांक** :— 29.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या—1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खोजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2293/2 रकबा 1.6180 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में पारस पुत्र चौथाराम के स्थान पर प्रकाशचन्द पुत्र चौथूराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:10 IST
Reason: SelfAttested

तीज — **मुबलिग** **बाबत** —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — [illegible] आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		

स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:10 IST
Reason: SelfAttested